

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ।

दिनांक-18.08.2023

सेवा में,

BHARAT PROMOTERS AND DEVELOPERS,
RIT Building, Road No.- 16, Near Nature Park, Jawahar Nagar,
Mango, Jamshedpur, East Singhbhum.

विषय:- मौजा-PARDIH, प्लॉट नं0-87, 82, 85, 86, 89, खाता नं0-303, 284, 444, वार्ड नं0-00, थाना नं0-1641, जिला-पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, मानगो, जमशेदपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया । उन्होंने अपने ज्ञापांक-268 दिनांक-11.08.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके ।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय ।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय ।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में 150mm डायामेटर वाले एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय ।
5. भवन के बेसमेन्ट को स्वचालित स्पिंकलर से सुरक्षित किया जाय । यह सुनिश्चित किया जाय कि स्पिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो ।
6. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
7. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
8. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
9. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय ।
10. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय ।
11. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे ।
12. उपर्युक्त भवनों के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो । इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय । सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय ।
13. भवन के प्रत्येक तलों के स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय ।
14. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए ।
15. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय ।
16. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय । सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो ।
17. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय ।

18. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
20. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
22. भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
23. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
24. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
25. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
26. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
27. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL
AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90
be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d
90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.08.18 17:09:39 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

INDRANIL CHATTERJEE

ADVOCATE
GOVT. PLEADER

JAMSHEDPUR COURT
P.O. Jamshedpur - 831 001



Residence :

Ramakrishna Colony,
Behind Payal Cinema
Mango, Jamshedpur - 831012
JHARKHAND

Mobile : 9334630888, 7004141461

Ref. No.

Date : 21.8.2023

To

**The Executive Officer,
Mango Nagar Nigam, Jamshedpur**

Ref: **Letter No. 1296 dated 19.08.2023**

Sir,

I have gone through your letter under reference and the documents attached thereto. From perusal of the documents it appears to me that Dinabandhu Dutta and four others being the owners of 31.22 Decimals of land pertaining to plot no. 82 under khata no. 284 and plot no. 85, 86, and 89 under khata no. 444 of ward no. 8 M.N.A.C. sold the said land through registered sale deed no. 1224 dated 23.3.2018 in favour of Bharat Promoters & Developers, a partnership firm and said land has also been mutated in favour of said purchaser Bharat Promoters & Developers through Mutation Case No. 161/R 27 of 2018-19 and rent receipt is generated for the period 2022-23.

Further it appears that said sellers Dinabandhu Dutta and others also sold 0.13.00 Hector of land equivalent to 0.3212 acre of plot no. 87 under khata no. 303 of ward No. 8 JNAC to their said purchasers Bharat Promoters & Developer, by means of registered deed of sale no. 1225 dated 23.3.2018 and out of which

Indranil Chatterjee
GP

INDRANIL CHATTERJEE

ADVOCATE
GOVT. PLEADER

JAMSHEDPUR COURT

P.O. Jamshedpur - 831 001



Residence :

Ramakrishna Colony,
Behind Payal Cinema
Mango, Jamshedpur - 831012
JHARKHAND

Mobile : 9334630888 📞, 7004141461

Ref. No.

Date :

22.37 decimals of land has been mutated in favour of the purchaser Bharat Promoter & Developer through Mutation case No. 162 /R 27 of 2018 -2019 and rent for the period of 2022-23 has been generated in favour of Bharat Promoters and Developers.

Further it appears that only khata no. 284 is noted in the name of one Jhika Mahatani daughter of late Jagarnath Mahato as appears from continuous khatian and so far khata no. 303 is concerned same is recorded in the names of sellers Dinabandhu Dutta and others.

Considering all the documents I am of considered opinion that there is no impediment in sanction of Building permit. In favour of Bharat Promoters and Developers as all the transfers are accepted by the Registering Authority as well as Revenue Authority.

Govt. Pleader

Indranil Chatterjee
21.8.2023.

Sch XIV- F.No. 180v
रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
धाना वो धाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती Page No. : 16
नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी Vol. No. : 101
वो सकुनत नम्बर। Receipt No. : 0288004736

मानगो वार्ड नं.-8 अ.क्षे.मानगो 16421 Bharat Promotors and Developers (Partnership Firm),Shakil Aslam,Md. Sadique,Rahullah Khan		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
284,444	82,85,86,89	0 एकड़ 31.22 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2023-2024)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल (नकदी)	293.00				293.00	
गुजारी (भावली)	73.25				73.25	
सेस	146.50				146.50	
सूद	146.50				146.50	
मुतफरकात	58.60				58.60	
मीजान	717.85				717.85	

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2023-2024)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल (नकदी)					293.00	
गुजारी (भावली)					73.25	
सेस					146.50	
सूद					146.50	
मुतफरकात					58.60	
मीजान अदायकारी					717.85	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Seven Hundred Seventeen Rupees and Eighty Five Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 717.85

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 21-08-2023

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान ।

Sch XIV- F.No. 180v
रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
धाना वो धाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती Page No. : 17
नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी Vol. No. : 101
वो सकुनत नम्बर। Receipt No. : 0950801148

मानगो वार्ड नं.-8 अ.क्षे.मानगो 16421 Bharat Promotors and Developers (Partnership Firm),Shakil Aslam,Md. Sadique,Rahullah Khan		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
303	87	0 एकड़ 22.37 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2023-2024)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल (नकदी)	202.00				202.00	
गुजारी (भावली)	50.50				50.50	
सेस	101.00				101.00	
सूद	101.00				101.00	
मुतफरकात	40.40				40.40	
मीजान	494.90				494.90	

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2023-2024)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल (नकदी)					202.00	
गुजारी (भावली)					50.50	
सेस					101.00	
सूद					101.00	
मुतफरकात					40.40	
मीजान अदायकारी					494.90	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : **Four Hundred Ninety Four Rupees and Ninety Paise**

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- **494.90**

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : **21-08-2023**

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।